न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा
(निर्णय बईजलास एल.एन.सोनी आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 11/2018/अपील/आर्म्स एक्ट/झालावाड
दायरा दिनांकः 2.7.2018
अन्तर्गत धाराः 18 आर्म्स एक्ट,1959

उनवान

राणाप्रताप सिंह आ0 मोड सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सिरपोई पीएस सुनेल तहसील पिडावा जिला झालावाड।
...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर एव जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड।
... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री रूपेश कुमार श्रृंगी अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांक 26.4.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 47/17 उनवान राज0 सरकार जरिये जिला मजि0 झालावाड बनाम राणा प्रताप सिंह मे पारित निर्णय दिनांक 17.1.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 1686/2000 को अवधि 1.1.2016 से 31.12.2018 तक नवीनीकरण हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किये जाने पर पुलिस अधीक्षक झालावाड से रिपोर्ट प्राप्त की गई। पुलिस अधीक्षक झालावाड की रिपोर्ट अनुसार अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण मे उसको 400 रूपये से दण्डित किया जाना अंकन करते हुये अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने की अनुशंसा नही करने के मध्यनजर आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 के तहत जिला मजि0 झालावाड द्वारा अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र निरस्त कर शस्त्र को संबधित थाने मे जमा करने का आदेश क्रमांक 1685 दिनांक 16.3.2017 (क्रम सं0 6 के संदर्भ मे) से प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी के संबध मे प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट का अवलोकन तथा विवेचन किए बिना एवं फाईडिंग दिए बिना ही 6 प्रकरणों का संयुक्त आदेश पारित किया गया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलार्थी द्वारा अपील सं0 25/17 इस न्यायालय मे पेश की गई जिसे निर्णय दिनांक 22.5.2017 से आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त कर प्रकरण पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया गया। न्यायालय हाजा के उक्त रिमांड आदेश की परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय ने तत्समय पुलिस अधीक्षक झालावाड द्वारा पत्रांक 5429 दिनांक 22.4.2016 को प्रेषित रिपोर्ट मे लाईसेन्स नवीनीकरण उचित नही होना वर्णित करते हुये असहमति व्यक्त किये जाने पर ही शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 1686/2000 को निरस्त किया गया था। तत्समय की गई पुलिस रिपोर्ट को दरकिनार कर शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किया जाना उपयुक्त नही होने से पूर्व मे पारित

संभागीय आयुक्त

आदेश संख्या 1685 दिनांक 16.3.2017 (क्रम सं0 1 के संदर्भ मे) को जेरअपील निर्णय दिनांक 17.1.2018 से यथावत रखा गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे तथ्यो का समुचित परीक्षण किये बगेर अपीलांट सहित पांच अनुज्ञापत्र धारियों के संबध मे ज्युडिशियल माईन्ड एप्लाई किये बिना ही पूर्व मे एक ही संयुक्त आदेश पारित किया जो स्पीपिंग आर्डर नही होने तथा आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के विपरीत होने से पूर्व मे माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर प्रकरण रिमांड किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का समुचित विश्लेषण किये बिना ही पुनः पूर्ववर्ती त्रुटिपूर्ण आदेश को यथावत रखे जाने मे त्रुटि की है। पुलिस रिपोर्ट मे जिन दो मुकदमो का हवाला दिया गया है उसमे से मुक0 स0 217/94 अपीलांट के विरूद्ध झूंठा दर्ज कराया गया था जिसमे पुलिस द्वारा एफआर दी गई तथा अन्य प्रकरण 20/11 एक्साईज एक्ट से संबधित है जिसमे भी अपीलार्थी को प्रोबेशन दिया गया है सजायाब नही किया गया। पुलिस रिपोर्ट वास्तविकता के विपरीत पेश की गई है। उक्त दोनो मुकदमे शस्त्र के दुरूपयोग से संबधित नही है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनो मुकदमों को आधार बनाकर आर्म्स एक्ट के प्रावधानो के विपरीत जाकर रिमांड निर्देशो की पालना मे नई रिपोर्ट तलब किये बिना ही पूर्ववर्ती रिपोर्ट के आधार पर आदेश जेरअपील पारित करने मे त्रुटि की है। अपीलांट का अनुज्ञापत्र समय–समय पर नियमानुसार नवीनीकरण होता आ रहा है तथा 31.12.2015 तक नवीनीकृत है। अपीलांट के विरूद्ध अन्य कोई प्रकरण दर्ज नही है। ऐसी स्थिति मे अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण मे कोई कानूनी बाधा नही थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दू पर कोई गौर नही किया। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.1.2018 निरस्त किया जावे एंव अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 1686/2000 को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किये जाने की आज्ञा प्रदान करने का अनुतोष चाहा गया।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे दिनांक 8.4.2019 को बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे पूर्व मे प्राप्त रिपोर्ट कमांक 5429 दिनांक 22.4.2016 को ही आधार मानकर जेरअपील निर्णय दिनाक 17.1.2018 से पूर्व आदेश कमांक 1685 दिनांक 16.3.2017 (क्रम सं0 6 के संदर्भ मे) को यथावत रखने मे त्रुटि की है। पुलिस रिपोर्ट मे जिन दो मुकदमो का हवाला दिया गया है उसमे से मुक0 स0 217/94 अपीलांट के विरूद्ध झूंठा दर्ज कराया गया था जिसमे पुलिस द्वारा एफआर दी गई तथा अन्य प्रकरण 20/11 एक्साईज एक्ट से संबधित है जिसमे भी अपीलार्थी को प्रोबेशन दिया गया है सजायाब नही किया गया। पुलिस रिपोर्ट वास्तविकता के विपरीत पेश की गई है। उक्त दोनो मुकदमे शस्त्र के दुरूपयोग से संबधित नही है। अपीलांट का लाईसेन्स दिनांक 31.12.2015 तक नवीनीकरण किया जाता रहा है। अन्य कोई आपराधिक प्रकरण अपीलांट के विरूद्ध दर्ज नही है ऐसी स्थिति मे उक्त मुकदमे के आधार पर पुलिस अधीक्षक झालावाड द्वारा लाईसेन्स नवीनीकरण की अनुशंसा नही करने का कोई न्यायोचित आधार नही है जबकि लाईसेन्स नवीनीकरण मे कोई कानूनी बाधा नही थी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे तथ्यो का समुचित परीक्षण किये बिना पुलिस अधीक्षक की पूर्व प्रेषित उक्त विवेचित रिपोर्ट

संभागीय आयुक्त

को ही पुन आधार मानकर जेरअपील आदेश दिनांक 17.1.2018 से पूर्व पारित आदेश दि 16.3.2017 (क्रम सं0 6 के संदर्भ मे) को यथावत रखने मे कानूनी त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अनु0 नवीनीकरण के आदेश अधीनस्थ न्यायालय को प्रदान किये जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे प्रकट किया कि अपीलांट के विरूद्ध एक प्रकरण दर्ज होने से पुलिस अधीक्षक झालावाड द्वारा नवीनीकरण की अनुशंसा नही की गई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का आर्म्स अनुज्ञापत्र पूर्व मे आदेश कमांक 1685 दिनांक 16.3.2017 (क्रम सं0 6 पर दर्ज) से निरस्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक झालावाड की पूर्व रिपोर्ट दिनांक 22.4.2016 के परिपेक्ष्य मे ही अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण किया जाना उचित नही मानते हुये जेरअपील निर्णय दिनांक 17.1.2018 से पूर्व आदेश को यथावत रखा है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है। अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी उसके अभिभाषक से सम्पर्क करने पर दिनांक 7.3.2018 को होना वर्णित करते हुये विलम्ब अवधि क्षम्य हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के समर्थन मे स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो के खण्डन/प्रतिउत्तर मे कोई साक्ष्य सबूत प्रकरण मे पेश नही किये है ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई न्यायोचित आधार/अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से न्यायहित मे डिले कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 अपील पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 1686/2000 को आगामी अवधि दिनांक 1.1.16 से 31.12.18 तक नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने उपरांत नवीनीकरण के संबध मे पुलिस अधीक्षक झालावाड से अपीलार्थी के चाल चलन एवं आपराधिक प्रकरणों के संबध मे प्राप्त रिपोर्ट कमांक 5429 दिनांक 22.4.2016 अनुसार आवेदक के विरूद्ध मुक0 दर्ज होने से आर्म्स लाईसेन्स नवीनीकरण किया जाना उचित नही होना वर्णित किया गया। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी का लाईसेन्स पूर्व आदेश कमांक 1685 दिनांक 16.3.2017 (क्रम सं0 6 पर दर्ज) से निरस्त किये जाने उपरांत अपीलार्थी द्वारा अपील सं0 25/17 प्रस्तुत की गई। न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 22.5.2017 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त कर प्रकरण पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया गया। न्यायालय हाजा के उक्त रिमांड आदेश की परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय ने तत्समय पुलिस अधीक्षक झालावाड द्वारा दिनांक 22.4.2016 को प्रेषित रिपोर्ट मे लाईसेन्स नवीनीकरण किया जाना उचित नही होना वर्णित करते हुये असहमति व्यक्त किये जाने पर ही शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 1685/2000 को निरस्त किया गया था। तत्समय की गई पुलिस रिपोर्ट को दरकिनार कर शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किया जाना उपयुक्त नही होने से पूर्व मे पारित आदेश संख्या 1685 दिनांक 16.3.2017 (क्रम सं0 6 के संदर्भ मे) को जेरअपील निर्णय दिनांक 17.1.2018 से यथावत रखा गया। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि मुक0 स0 217/94 अपीलांट के विरूद्ध झूंठा दर्ज कराया गया था जिसमे पुलिस द्वारा एफआर दी गई

संभागीय आयुक्त

तथा अन्य प्रकरण 20/11 एक्साईज एक्ट से संबधित है जिसमे भी अपीलार्थी को प्रोबेशन दिया गया है सजायाब नही किया गया। पुलिस रिपोर्ट वास्तविकता के विपरीत पेश की गई है। उक्त दोनो मुकदमे शस्त्र के दुरूपयोग से संबधित नही है। अपीलांट का लाईसेन्स दिनांक 31.12.2015 तक नवीनीकरण किया जाता रहा है। अन्य कोई आपराधिक प्रकरण अपीलांट के विरूद्ध दर्ज नही है ऐसी स्थिति मे उक्त मुकदमे के आधार पर पुलिस अधीक्षक झालावाड द्वारा लाईसेन्स नवीनीकरण की अनुशंसा नही करने का कोई न्यायोचित आधार नही है जबकि लाईसेन्स नवीनीकरण मे कोई कानूनी बाधा नही थी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे तथ्यो का समुचित परीक्षण किये बिना पुलिस अधीक्षक की उक्त रिपोर्ट को आधार मानकर जेरअपील आदेश दिनांक 17.1.2018 से पूर्व पारित आदेश दिनांक 16.3.2017 (क्रम सं0 6 के संदर्भ मे) को यथावत रखने मे कानूनी त्रुटि की है। अपीलांट के तर्क के संबध मे पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस अधीक्षक झालावाड द्वारा अपीलांट के विरूद्ध उक्त वर्णित मुकदमे दर्ज होने के आधार पर लाईसेन्स नवीनीकरण किया जाना उचित नही होना वर्णित किया गया जिसके आधार पर पूर्व मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश क्रमांक 1685 दिनांक 16.3.2017 से अपीलांट का लाईसेन्स निरस्त किया गया जिसे जेरअपील निर्णय दिनांक 17.1.2018 से यथावत रखा गया है। प्रकरण मे यह तथ्य विवेचनीय है कि जिस प्रकरण के आधार पर पुलिस अधीक्षक झालावाड द्वारा लाईसेन्स नवीनीकरण की अनुशंसा नही की गई उक्त मुक0 सं0 217/94 मे एफआर पेश की गई तथा अन्य प्रकरण 20/11 एक्साईज एक्ट से संबधित है जिसमे भी अपीलार्थी को प्रोबेशन दिया गया है सजायाब नही किया गया तथा अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र दिनांक 31.12.2015 तक समय–समय पर नवीनीकरण किया जाता रहा है। अतः उक्त तथ्यो के आलोक मे पुलिस अधीक्षक झालावाड द्वारा दिनांक 22.4.2016 को प्रेषित रिपोर्ट मे लाईसेन्स नवीनीकरण किया जाना उचित नही होना वर्णित किया जाना न्यायोचित आधार नही ठहराया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो का भी समुचित परीक्षण नही किया तथा ना ही न्यायालय हाजा के पूर्व अपील मे पारित रिमांड निर्देशो के परिपेक्ष्य मे पुलिस अधीक्षक झालावाड से कोई नवीन रिपोर्ट ही प्राप्त की गई बल्कि पुलिस अधीक्षक झालावाड की पूर्व रिपोर्ट दिनांक 22.4.2016 को ही आधार मानकर जेरअपील निर्णय दिनांक 17.1.2018 पारित करने मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि कारित किया जाना प्रकट होता है। फलत् उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 47/17 उनवान राज0 सरकार जरिये जिला मजि0 झालावाड बनाम राणाप्रताप सिंह मे पारित निर्णय दिनाक 17.1.2018 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है कि उक्त विवेचित तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपीलार्थी के चाल–चलन तथा आपराधिक गतिविधियों के संबध मे वर्तमान वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर तथ्यों का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें।

7 निर्णय आज दिनांक 26.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(एल. एन. सोनी)
सम्भागीय आयुक्त
कोटा